न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **129/2022** दायर दिनाँक **20.04.2022**

वादी		प्रतिवादीगण
1. प्रेमकंवर पत्नि स्व0 नरेन्द्र सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी भण्डारी पटवार हल्का मामडोदा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. हरिओम सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्रसिंह उम्र 27 वर्ष 2. सुमन कंवर पुत्री स्व0 नरेन्द्रसिंह 3. बसु कंवर पुत्री स्व नरेन्द्रसिंह 4. मिन्दु कंवर पुत्री स्व0 नरेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भण्डारी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 5. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरफूल राव वकील वादी।
2. श्री सुनील कुमार मिश्रा वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 04।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.06.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 सभी स्व0 मोतीसिंह की उत्तराधिकारी है तथा गांव भण्डारी के स्थायी निवासी है तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0 01 ता 04 के नाम व वादीया की नणदे जो स्व0 मोतीसिंह की पुत्रीयां भंवर कंवर, ताज कंवर, मनोहर कंवर, संतोष कंवर, पवन कंवर मौजा भण्डारी पटवार क्षेत्र मामड़ोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में खसरा सं0 249 रकबा 3.80 हैक्टे0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, परन्तु मौके पर मौखिक एवं बाहमी बंटवारा करके सभी खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज कास्त चले आ रहे है। स्व0 मोतीसिंह के 1/4 हिस्से पर वादीया व प्रतिवादी सं0 01 का ही मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी प्रमाणिक नकल खतौनी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह है कि वादीया व अन्य के नाम से मौजा भण्डारी पटवार क्षैत्र मामडोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर खसरा सं0 249 रकबा 3.80 हैक्टे0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। जो मोती सिंह के बाद फौतगी नामान्तरण से इनके पांच पुत्रीया भंवर कंवर, ताज कंवर, मनोहर कंवर, संतोष कंवर, पवन कंवर एवं एक पुत्र नरेन्द्र सिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मोती सिंह ने अपने जीवनकाल में ही मौखिक एवं बाहमी बंटवारा करके वादीया व प्रतिवादी सं0 01 को सुपुर्द कर दिया परन्तु बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विधिवत कानूनी बंटवारा वर्तमान में नही हुआ है।

यह है कि वादीया का पति स्व0 नरेन्द्र सिंह के पक्ष में सभी बहनों ने अपना हिस्सा सुपुर्द कर वर्षो पूर्व अपने–अपने ससुराल में आबाद हो गयी तथा नरेन्द्र सिंह के पक्ष में अपना हिस्सा [illegible] तथा नरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो जाने से नरेन्द्र सिंह के विधिक उत्तराधिकारी [illegible] एवं प्रतिवादी सं0 01 ता 04 के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज [illegible] है परन्तु प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की भी वादीया ने शादियां कर दी है जो अपने–अपने ससुराल में आबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

है तथा अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा है। उक्त सम्पूर्ण हिस्से में से प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटया जाकर जरिये घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती से वादीया के नाम की जाकर 1/4 हिस्सा अलग से बंटवारा किया जाकर रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम किया जाना विधि सम्मत एवं कानूनी प्रतित होता है तथा बकाया खातेदारान के विरूद्ध वादीया ने किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही है। इसलिए इनको पक्षकार नही बनया गया है। उनका हक हिस्सा खतौनी अनुसार यथावत है।

प्रार्थना वादीया निम्न प्रकार है:–

यह है कि डिक्री बहक वादीया एवं प्रतिवादी सं0 01 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमावें कि भूमि मौजा भण्डारी पटवार क्षैत्र मामडोदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 के खेत खसरा सं0 249 रकबा 3.80 हैक्टे0 में से 1/4 हिस्सा जरिये घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती एवं बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग कराते हुए तरमीम करवाने का निर्णय फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 ता 04 का इकबालिया जबाब पेश हुआ। जिसे सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 05 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद भण्डारी पटवार क्षैत्र मामड़ोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में खसरा सं0 249 रकबा 3.80 हैक्टे0 में से 1/4 हिस्से में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादिया व प्रतिवादी सं0 01 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। वादीया के पति की बहनो क्रमशः भंवर कंवर, ताज कंवर, मनोहर कंवर, संतोष कंवर, पवन कंवर व वादीया की पुत्रीया प्रतिवादी सं0 02, 03, 04 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 129/2022 दायर दिनाँक 20.04.2022

वादी

1. प्रेमकंवर पत्नि स्व0 नरेन्द्र सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी भण्डारी पटवार हल्का मामडोदा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हरिओम सिंह पुत्र स्व0 नरेन्द्रसिंह उम्र 27 वर्ष
2. सुमन कंवर पुत्री स्व0 नरेन्द्रसिंह
3. बसु कंवर पुत्री स्व नरेन्द्रसिंह
4. मिन्दु कंवर पुत्री स्व0 नरेन्द्रसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण भण्डारी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
5. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफूल राव वकील वादी व श्री सुनील कुमार मिश्रा वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 04 की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद भण्डारी पटवार क्षैत्र मामड़ोदा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में खसरा सं0 249 रकबा 3.80 हैक्टे0 में से 1/4 हिस्से में इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादिया व प्रतिवादी सं0 01 को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। वादीया के पति की बहनो क्रमशः भंवर कंवर, ताज कंवर, मनोहर कंवर, संतोष कंवर, पवन कंवर व वादीया की पुत्रीया प्रतिवादी सं0 02, 03, 04 का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:36:33 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner